Date – 30 July 2022

भारत में कुपोषण को रोकना

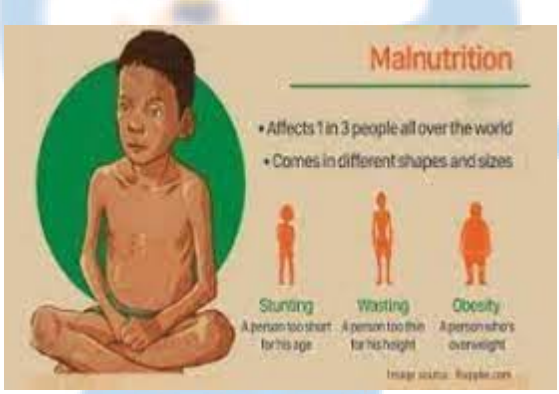

- हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में कुपोषण को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्य :

- 6 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और अल्पपोषण (कम वजन की व्यापकता) को 2% प्रति वर्ष कम करने का लक्ष्य।
- 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के कुपोषण की रोकथाम और इसे 6 प्रतिशत यानी 2% प्रतिवर्ष की दर से कम करना।
- 9% प्रति वर्ष की दर से 6 से 59 महीने के बच्चों में एनीमिया के प्रसार को कम करना।
- 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया के प्रसार को 9% या 3% प्रति वर्ष कम करना।

- रक्ताल्पता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या इसकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता अपर्याप्त होती है।
- इसे एनएफएचएस-5 रिपोर्ट में हाइलाइट किया गया है जिसमें जनसंख्या के प्रमुख वर्गों पर विस्तृत जानकारी शामिल है, जैसे:
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्यु दर, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण और एनीमिया, रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण आदि।

एनएफएचएस-5 के निष्कर्ष:

अविकसित बच्चों पर डेटा:

- मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक (5%) है, इसके बाद बिहार (42.9%) का स्थान है।
- बच्चों में बाल अपंग/विकलांगता की दर सबसे अधिक 6% महाराष्ट्र में है, इसके बाद गुजरात (25.1%) का स्थान है।
- झारखंड में 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं का उच्चतम प्रतिशत (26%) है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य से कम है।

अन्य निष्कर्ष:

- कुल प्रजनन दर (टीएफआर), प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, एनएफएचएस -4 और 5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 2 से घटकर 2.0 हो गई।
- देश में समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (सीपीआर) 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
- भारत में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गए हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार स्टंटिंग/बौनापन 4% से घटकर 5%, वेस्टिंग 21.0% से घटकर 19.3% और कम वजन 35.8% से घटकर 32.1% हो गया है।
- सामान्य बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) से कम वाली महिलाएं (15-49 वर्ष) एनएफएचएस-4 में 9% से घटकर एनएफएचएस-5 में 18.7% हो गई हैं।

कुपोषण और संबंधित पहल:

- कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों से वंचित हो जाता है, जिसे स्वस्थ ऊतक और अंग कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।
- कुपोषण उन लोगों में होता है जो या तो कुपोषित हैं या अति-पोषित हैं।

पहल:

- **पोषण अभियान:** भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) या पोषण अभियान शुरू किया है।
- **एनीमिया मुक्त भारत अभियान:** वर्ष 2018 में शुरू किया गया, मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत अंक तक कम करना है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):** प्रसव के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 6,000 रुपये सीधे गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं।
- **एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना:** इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य भोजन, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और अन्य सेवाएं प्रदान करना है।

YOJNA IAS

स्वदीप कुमार

ग्यारहवीं कृषि जनगणना (2021-22)

- हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने "ग्यारहवीं कृषि जनगणना (2021-22)" शुरू की।
- इस गणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।

कृषि जनगणना:

- कृषि जनगणना हर 5 साल में आयोजित की जाती है, जिसमें इस बार COVID-19 महामारी के कारण देरी हो रही है।
- संपूर्ण जनगणना तीन चरणों में आयोजित की जाती है और डेटा संग्रह के लिए परिचालन स्वामित्व को सूक्ष्म स्तर पर एक सांख्यिकीय इकाई के रूप में देखा जाता है।
- तीन चरणों में एकत्रित कृषि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, विभाग अखिल भारतीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर विभिन्न मानकों पर प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए तीन विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- जिला/तहसील स्तर की रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाती है।
- कृषि जनगणना अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर विभिन्न कृषि मानकों पर सूचना का मुख्य स्रोत है, जैसे परिचालन जोतों की संख्या और क्षेत्र, उनका आकार, वर्ग-वार वितरण, भूमि उपयोग, किरायेदारी और फसल पैटर्न इत्यादि।

ग्यारहवीं जनगणना:

- कृषि जनगणना का काम अगस्त 2022 में शुरू होगा।
- यह पहली बार है कि कृषि जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके।

यह भी शामिल है:

- भूमि शीर्षक रिकॉर्ड और सर्वेक्षण रिपोर्ट जैसे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच।
- स्मार्टफोन/टैबलेट का उपयोग करके ऐप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा का संग्रह।
- चरण-I के दौरान गैर-भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों के सभी गांवों की गणना, जैसा कि भूमि रिकॉर्ड राज्यों में किया गया है।
- प्रगति और प्रसंस्करण की वास्तविक समय की निगरानी।

- अधिकांश राज्यों ने अपने भूमि अभिलेखों और सर्वेक्षणों का डिजिटलीकरण कर दिया है, जिससे कृषि जनगणना के आंकड़ों के संग्रह में और तेजी आएगी।
- डेटा संग्रह और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के उपयोग के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग करके देश में परिचालन जोत का एक डेटाबेस बनाया जाएगा।

डिजिटल कृषि:

- डिजिटल कृषि एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र है जो सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन प्रदान करते हुए खेती को लाभदायक, टिकाऊ बनाने के लिए समय पर लक्षित सूचना और सेवाओं के विकास और वितरण का समर्थन करता है।

उदाहरण:

- जैवप्रौद्योगिकी कृषि पारंपरिक प्रजनन तकनीकों सहित उपकरणों की एक श्रृंखला है, जो उत्पादों को बनाने या संशोधित करने के लिए जीवित जीवों, या जीवों के कुछ हिस्सों को संशोधित करती है; इसमें पौधों या जानवरों का सुधार या विशिष्ट कृषि उपयोगों के लिए सूक्ष्मजीवों का विकास शामिल है।
- सटीक खेती (पीए) एक दृष्टिकोण है जहां कृषि वानिकी, अंतर-फसल, फसल रोटेशन आदि जैसी पारंपरिक कृषि तकनीकों की तुलना में बढ़ी हुई औसत उपज प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादन की सटीक मात्रा का उपयोग किया जाता है। यह डिजिटल कृषि जानकारी का उपयोग करने पर आधारित है।
- डेटा मापन, मौसम निगरानी, रोबोटिक्स/ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि के लिए डिजिटल और वायरलेस प्रौद्योगिकियां।

लाभ:

कृषि मशीनरी स्वचालन:

- यह आगतों को स्थिर करने की अनुमति देता है और शारीरिक श्रम की मांग को कम करता है।

दूरस्थ उपग्रह डेटा:

- दूरस्थ उपग्रह डेटा और इन-सीटू सेंसर सटीकता में सुधार करते हैं और फसल वृद्धि और भूमि या पानी की गुणवत्ता की निगरानी की लागत को कम करते हैं।

- स्वतंत्र रूप से उपलब्ध और उच्च गुणवत्ता वाली उपग्रह इमेजरी कई कृषि गतिविधियों की निगरानी की लागत को नाटकीय रूप से कम करती है। यह सरकारों को अधिक लक्षित नीतियों की ओर बढ़ने की अनुमति दे सकता है जो पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर किसानों को भुगतान (या दंडित) करती हैं।

ट्रैसेबिलिटी टेक्नोलॉजीज और डिजिटल लॉजिस्टिक्स:

- ये सेवाएं उपभोक्ताओं को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हुए कृषि-खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने की क्षमता प्रदान करती हैं।

प्रशासनिक उद्देश्य:

- पर्यावरण नीतियों के अनुपालन की निगरानी के अलावा, डिजिटल प्रौद्योगिकियां कृषि के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्वचालन और विस्तार या सलाहकार सेवाओं के संबंध में विस्तारित सरकारी सेवाओं के विकास को सक्षम बनाती हैं।

भूमि अभिलेखों का रखरखाव:

- प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, बड़ी संख्या में होल्डिंग डेटा को उपयुक्त रूप से टैग और डिजिटाइज़ किया जा सकता है।
- इससे न केवल बेहतर लक्ष्यीकरण में मदद मिलेगी बल्कि अदालतों में भूमि विवादों के लिए मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी।

डिजिटल कृषि के लिए सरकारी पहल:

एग्रीस्टैक:

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 'एग्रीस्टैक' बनाने की योजना बनाई है, जो कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों का एक संग्रह है। यह कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला में किसानों को शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच तैयार करेगा।

डिजिटल कृषि मिशन:

- यह पहल सरकार द्वारा वर्ष 2021 से 2025 तक कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक, ड्रोन और रोबोट के उपयोग जैसी नई तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

एकीकृत किसान सेवा मंच (यूएफएसपी):

- यह मूल अवसंरचना, डेटा, अनुप्रयोगों और उपकरणों का एक संयोजन है जो देश भर में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न सार्वजनिक और निजी आईटी प्रणालियों की निर्बाध अंतःक्रियाशीलता को सक्षम बनाता है।

UFSP निम्नलिखित भूमिकाएँ निभाता है:

- यह कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है (जैसे ई-भुगतान में यूपीआई) ।
- सेवा प्रदाताओं (सार्वजनिक और निजी) और किसान सेवाओं के पंजीकरण को सक्षम बनाता है।
- सेवा वितरण प्रक्रिया के दौरान आवश्यक विभिन्न नियमों और मान्यताओं को लागू करता है।
- सभी लागू मानकों, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और प्रारूपों के भंडार के रूप में कार्य करता है।
- किसानों को व्यापक स्तर पर सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बीच डेटा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना।

कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी-ए):

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यह योजना वर्ष 2010-11 में 7 राज्यों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के माध्यम से भारत में तेजी से विकास को बढ़ावा देना है ताकि किसानों को कृषि संबंधी जानकारी समय पर मिल सके।
- वर्ष 2014-15 में इस योजना का विस्तार शेष सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था।
- **अन्य डिजिटल पहल:** किसान कॉल सेंटर, किसान सुविधा ऐप, कृषि बाज़ार ऐप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) पोर्टल आदि।

स्वदीप कुमार

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका

संदर्भ क्या है ?

- सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तारी के प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के अधिकार को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ईडी के जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार को बरकरार रखा है। याचिका में जमानत की मौजूदा शर्तों पर भी सवाल उठाया गया था ।
- जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले और 240 याचिकाओं पर निर्णय दिया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ईडी की गिरफ्तारी, जब्ती और जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी, जब्ती, संपत्ति कुर्क करने, छापे मारने और बयान लेने की शक्तियों को बरकरार रखा गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत ईसीआईआर को एफआईआर से नहीं जोड़ा जा सकता है। यह ईडी का आंतरिक दस्तावेज है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को ईसीआईआर रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है. गिरफ्तारी के दौरान केवल कारण बताना ही काफी है।

2018-19 में धन शोधन निवारण अधिनियम(PMLA) में किए गए संशोधन

- संशोधन क्या वित्त अधिनियम के तहत भी किए जा सकते हैं? धन विधेयक मामले के तहत इस प्रश्न पर 7 जजों की बेंच विचार करेगी।दायर याचिकाओं में मांग की गई थी कि पीएमएलए के कई प्रावधान असंवैधानिक हैं, क्योंकि वे संज्ञेय अपराधों की जांच

और मुकदमे की पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, इसलिए ईडी को जांच के समय सीआरपीसी का पालन करना चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय

- प्रवर्तन निदेशालय या ईडी आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए गठित एक संगठन है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा संबंधी उल्लंघनों की जांच के लिए की गई थी। 1957 में इसका नाम बदलकर ईडी कर दिया गया।
- प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करता है। 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) एक्ट लागू होने के बाद से ईडी ने आपराधिक श्रेणी के तहत वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों से भी निपटना शुरू कर दिया है।

धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ?

- धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग से आशय अवैध तरीकों से अर्जित धन को वैध माध्यमों से अर्जित धन में परिवर्तित करना है।
- मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित धन को छिपाने का एक तरीका है।
- जो व्यक्ति इस प्रकार के अवैध धन का शोधन करता है उसे लाउन्डर कहा जाता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम

- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) वर्ष 2002 में पारित किया गया था। उसके बाद यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है।
- इसके अलावा इस अधिनियम का उद्देश्य आर्थिक अपराधों में काले धन के प्रयोग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना है,इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय की होती है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दंड का प्रावधान

- मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत अपराध के जरिए अर्जित संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है।

- इसके तहत कम से कम 3 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 7 वर्ष तक किया जा सकता है।
- यदि इसके साथ ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 से जुड़े अपराध भी शामिल हैं, तो जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

मुकुंद माधव शर्मा